

कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम न0प्र0

:: ज्ञापन ::

क्रमांक ४०९ / लेखा / 2020

रतलाम, दिनांक २०/३/२०२०

प्रति,

अध्यक्ष,
अभिभाषक संघ,
रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना

विषय :- कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप से बचाव के संबंध में।

सन्दर्भ :- माननीय उच्च न्यायालय न.प्र.जबलपुर एडवाइजरी दिनांक 20.03.2020।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित ज्ञापन के अनुक्रम में लेख है कि इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण रतलाम/सैलाना/जावरा/आलोट के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है जिसमें कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप से बचाव, संक्रमण को फैलने से रोकने एवं पक्षकारों की स्वास्थ्य सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 21.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक के लंबित (Urgent Nature को छोड़कर) प्रकरणों की सुनवाई निम्नानुसार की जावेगी -

क.	प्रकरण की पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक	रिमांक
1	दि. 21 से 23 मार्च 2020	दि. 04 अप्रैल 2020	
2	दि. 24 मार्च 2020	दि. 07 अप्रैल 2020	
3	दि. 28 मार्च 2020	दि. 08 अप्रैल 2020	
4	दि. 27 मार्च 2020	दि. 09 अप्रैल 2020	
5	दि. 28 मार्च 2020	दि. 15 अप्रैल 2020	
6	दि. 30 मार्च 2020	दि. 16 अप्रैल 2020	
7	दि. 31 मार्च 2020	दि. 17 अप्रैल 2020	

अतः उपरोक्त तालिका अनुसार आपकी सूचित किया जाता है कि अधिवक्तागण अपने - अपने पक्षकारों को आवश्यक रूप से प्रकरणों की सुनवाई के पूर्व अग्रिम रूप से पक्षकारों को संसूचित करे कि वे उक्त सुनवाई हेतु दिनांक 21 मार्च 2020 लगायत 31.03.2020 तक न्यायालयों में उपस्थित न होते हुए तालिका अनुसार पक्षकारों को निर्धारित पेशी दिनांक को ही न्यायालयों में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।

(सुश्री शोभा पोरवाल)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम न.प्र.

रतलाम, दिनांक 20/३/२०२०

पृ.क्रमांक ७/० / लेखा / 2020

प्रतिलिपि -

- (1) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय रतलाम।
- (2) विशेष न्यायाधीश रतलाम।
- (3) प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/अति. अपर जिला न्यायाधीश, रतलाम/जावरा/आलोट।
- (4) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम।
- (5) प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम/सप्तम/अति. व्य. न्या. वर्ग-1 रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना।
- (6) प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ/सप्तम/अति. व्य. न्या. वर्ग-2, रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना।
- (7) प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय रतलाम।
- (8) लेखापाल, जिला न्यायालय रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(सुश्री शोभा पोरवाल)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम न.प्र.

URGENT
Avt
20.3.2020

1

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// ADVISORY TO MADHYA PRADESH DISTRICT COURTS //

In view of the outbreak of Coronavirus (COVID-19), as directed, you are requested to ensure that the dates upto 31st March, 2020 should be given to the parties/counsel, in advance, except cases of urgent nature.

The dates which have been given in advance should be intimated to the counsels as well as the litigants through SMS messages. However, the fresh dates fixed shall also be displayed on the Notice Boards outside the court rooms, in advance.


(R.K. VANI)
REGISTRAR GENERAL